रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्यालय - भविष्य निधि भवन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2015

फा. सं. सम्मे. 5(14)/2008/मध्य प्रदेश/19255.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे "योजना" के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के उपबंधों के अनुसार, अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है तथा निम्नलिखित संशोधनों के लिए क.भ.नि. संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली की गजट अधिसूचना सं. सम्मे. 5(14)2008/मध्य प्रदेश/9702 दिनांक 18.09.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में दिनांक 28.10.2014 को जारी संख्या 297 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के औपचारिक अनुमोदन की सहर्ष स्वीकृति देते हैं।

2. वर्तमान क्षेत्रीय समिति, (क.भ.नि.) में मध्य प्रदेश राज्य के लिए, अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने पैरा 4 (1)(डी) के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में इंटक के प्रतिनिधि की नियुक्ति मध्य प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) में की है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के सदस्य की श्रेणी के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रम संख्या 7 पर प्रतिस्थापित किया जाए, यथा:-

श्री के.एस. वर्मा,

महासचिव, मध्य प्रदेश इंटक,

पता : ए-3, आस्था रेसिडेन्सी, एस.एस. नगर,

हाथीताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482001

4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

राजेश बंसल, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

[विज्ञापन-III/4/असा./105/14(334)]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEADQUARTERS – BHAVISHYANIDHI BHAWAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2015

F. No. Conf. 5(14)2008/MP/19255.—In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", the Regional Committee (EPF) for the State of Madhya Pradesh was constituted by the Chairman, Central Board of Trustees, (Employees' Provident Fund) and notified on 28.10.2014 in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 under Issue no. 297 (Vide Notification No. Conf. 5(14)2008/JMP/9702 dated 18.09.2014.

2. In the existing Regional Committee, (EPF) for the State of Madhya Pradesh, the Chairman, CBT (EPF) has appointed representative of INTUC as member for employees' representative under para 4(1)(d) in the Regional Committee EPF for the State of Madhya Pradesh.

3. Accordingly, in the said notification under the category of member for employees' representative, the following entry shall be inserted at Sl No. 7 namely:—

Shri K. S. Varma,

General Secretary, Madhya Pradesh INTUC,

Address: A-3, Astha Residency, S. S. Nagar,

Hathital, Jabalpur, Madhya Pradesh – 482 001.

4. This will come into force with immediate effect.

RAJESH BANSAL, Addl. Central Provident Fund Commissioner (Headquarters)

[ADVT.-III/4/Exty./105/14(334]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.